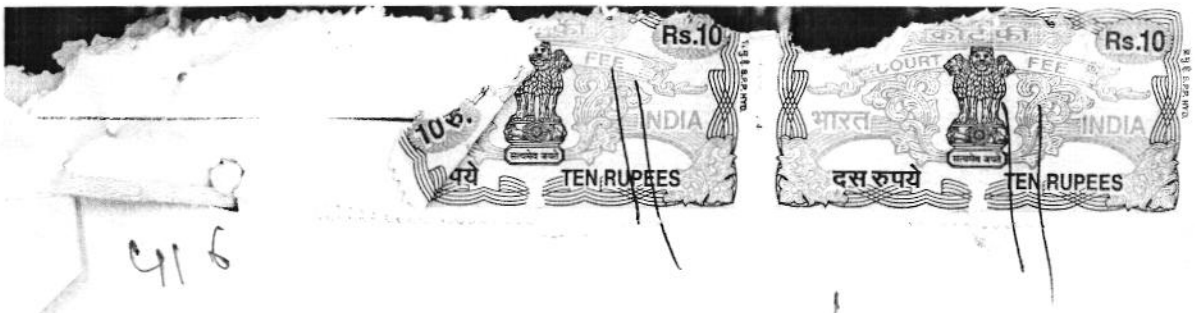

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी क्र0 R. 1473 - III /14 सन्

बिटवा तनय ललवा गड़रिया
निवासी ग्राम पटना तहसील चंदला
जिला छतरपुर म0प्र0 ———————— आवेदक

बनाम

श्रीमती रामसखी पुत्री रघवा गडरिया
पत्नि पिरघवा गडरिया निवासी ग्राम पटना
तहसील चंदला जिला छतरपुर म0प्र0 ———————— आवेदिका

निगरानीं अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 निगरानी आदेश विरूद्ध श्रीमान् अपर कलैक्टर महोदय छतरपुर के निगरानी प्र0क्र0 229/निगरानी/अ-6-अ/2009-10 आदेश दिनांक 10/03/2014 से दुखी व परिवेदित होकर।

महोदय,

सेवा में आवेदक निम्नलिखित विषयांकित निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1 - यह कि निगरानी प्रकरण में संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि भूमि आराजी नं0 305/3 रकवा 1.518हे0 स्थित मौजा पटना तहसील चंदला की भूमि पटवारी राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम भूमि स्वामी हक पर अंकित है तथा आवेदक 70 वर्ष पूर्व से लगातार आज तक मौके पर काबिज व दखील है। तथा हल्का पटवारी ग्राम पटना के द्वारा मौजा पटना की समस्त ग्राम की बटांक नंबर की तरमीम समूहिम रूप से मौके पर जाकर कब्जे के आधार पर तरमीम प्रस्तावित बनाकर न्यायालय नायब तहसीलदार चंदला के न्यायालय पेश की श्रीमान् नायब तहसीलदार चंदला ने प्रस्ताव प्राप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर स्तहार का प्रकाश किया जाकर अंदर अवधि कोई किसी प्रकार की आपत्ति नही आई इस कारण नायब तहसीलदार चंदला ने दिनांक 28/06/2001 को हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तावित तरमीम को मूल नक्शे मे लाल स्याही से अमल करने के आदेश दिये । हल्का पटवारी ने मूल नक्शें में अमल किया इसके पश्चात अनावेदिका ने 10 वर्ष बाद निगरानी श्रीमान् अपर कलैक्टर महोदय के न्यायालय में पेश की जिसमें आवेदक ने एक आपत्ति आवेदन पेश किया कि प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1473-तीन/2014 जिला छतरपुर बिटवा विरूद्ध रामसखी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 229/निग./अ-6-अ/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 10-03-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-05-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

25/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य